संचिका सं0:– 3/एफ–01–04/2008 8194 /वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

डा0 बी0 राजेन्दर
सचिव (संसाधन)

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग, बिहार, पटना।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
बिहार, पटना।
सभी विभागाध्यक्ष
बिहार, पटना।
सभी जिलाधिकारी
बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः– 8/9/14

विषयः– **निलंबित सरकारी सेवक को आकस्मिक अवकाश या विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में स्पष्टीकरण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कई विभागों/कार्यालयों से इस बिन्दु पर परामर्श की अपेक्षा वित्त विभाग से की गई है कि सरकारी सेवकों को निलम्बन अवधि के दौरान आकस्मिक अवकाश देय होगा या नहीं? उसी प्रकार महिला सरकारी सेवकों को निलंबन अवधि में विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा या नहीं, इस संबंध में भी पृच्छा की गई है।

2. उपर्युक्त पृच्छा का आधार कदाचित, बिहार सेवा संहिता के नियम 153 का प्रावधान है, जिसमें यह प्रावधानित है कि सरकारी सेवकों को निलंबन की अवधि में अवकाश देय नहीं है।

3. उपर्युक्त विषय की सम्यक् समीक्षा वित्त विभाग के स्तर पर की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि बिहार सेवा संहिता के उपर्युक्त प्रावधान उन अवकाशों पर प्रभावी है जो बिहार सेवा संहिता के अध्याय–6 पर सूचीबद्ध है (समय–समय पर किये गए अद्यतन संशोधनों सहित)।

4. आकस्मिक अवकाश (विशेष आकस्मिक अवकाश सहित) उपर्युक्त श्रेणी के अवकाशों में शामिल नहीं है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है यह आकस्मिक प्रकृति का है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी सेवकों को निलंबन की स्थिति में उनके अवशेष आकस्मिक अवकाश की सीमा तक उपस्थिति पंजी में उपस्थिति अंकित करने से छूट दी जा सकती है बशर्ते कि उक्त छूट से विभागीय कार्यवाही के संचालन में कोई बाधा नहीं हो। इसी प्रकार महिला सरकारी सेवकों को भी हर माह दिए जाने वाले विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति दी जानी चाहिए।

विश्वासभाजन

5.9.2014

(बी0 राजेन्दर)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

desk./draft-1/draft-1/_28

समाहरणालय, दरभंगा
(जिला स्थापना शाखा)

ज्ञापांक:- 1620 /स्था० एवं दिनांक 14/11/2014

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी दरभंगा जिला।

प्रतिलिपि:- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि:- मुख्यालय स्थित सभी विभागीय एवं प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला आई० टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई० मेल के माध्यम से भेजने तथा जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13.XI.14

स्थापना उप समाहर्ता
दरभंगा

10/11/14

12/11/14

13